पंजीयन प्रक्रिया

पंजीयन में मुख्यतः किसी शासकीय पंजी में ऐसे दस्तावेजों की यथावत प्रतिलिपि अभिलिखित करना अथवा नस्ती करना सिम्मिलित है, जिसका निष्पादन शासकीय रूप से सत्यापित किया गया हो। दस्तावेज सामान्यतः निम्नांकित द्वारा लिखा जा सकता है :- लाइसेंसधारी दस्तावेज लेखक, दस्तावेज का स्वयं निष्पादक, उसका अधिकृत मुख्तयार, अधिवक्ता या अधिवक्ता के रजिस्टर्ड क्लर्क। (पंजीयन अधिनियम की धारा 82 -क तथा पंजीयन मैन्युअल की कंडिका 199)

टीप:-

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा दस्तावेज लिखने के पश्चात उसके पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत करने एवं पंजीयन कराए जाने हेतु पक्षकारों को सौंप देना चाहिए। पंजीयन कार्यालय में पंजीयन अधिकारी के समक्ष होने वाली कार्यवाही, अधिवक्ता अधिनियम की धारा-30 के अंतर्गत न आने के कारण अधिवक्ताओं को अधिकार स्वरूप पंजीयन कार्यालय में अपने व्यवसाय के लिए उपस्थित होने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार दस्तावेज लेखक के लाइसेंस की शर्त क्र.-6 के अनुसार उनका पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना विशेष रूप से वर्जित है।

(पंजीयन मैन्युअल की कंडिका 329 एवं 478)

दस्तावेज के निष्पादन दिनांक से 4 माह की समयाविध में दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। (धारा-23) तत्पश्चात जिला पंजीयक के आदेश से नियत जुर्माने सिहत दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। (धारा-25, धारा-34)

प्रस्तुतीकरण (धारा- 32, नियम 15):

पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज, पंजीयन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है (कार्य दिवस में प्रस्तुतीकरण अविध - प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:30 बजे तक) :-

- 1. दस्तावेज को निष्पादित करने वाले/ उसके अधीन दावा करने वाले द्वारा ।
- 2. ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या समन्देशिती द्वारा ।
- 3. ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि/समनुदेशिती के अभिकर्ता द्वारा जिसे मुख्त्यारनामे द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।

सामान्यता: कोई दस्तावेज तब तक पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया हो ।

- टीप :- पंजीयन मैनुअल में यह भी प्रावधानित है कि :-
 - 1. पक्षकारों द्वारा स्वयं दस्तावेज लिखकर, हस्ताक्षर कर दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हैं ।
 - 2. पक्षकार के अलावा अधिकृत मुख्त्यार दस्तावेज लिखकर मुख्त्यार की हैसियत व्यक्त करते ह्ए अपने हस्ताक्षर कर पंजीयन अधिकारी के समक्ष संबंधित अधिकार पत्र (मुख्त्यारनामा) प्रस्त्त करेगा।
 - 3. अधिवक्ताओं के मामले में यह आवश्यक है कि दस्तावेज लिखने के लिए नियुक्त किए गए अधिकार व्यक्त करें और उसके लिए मेमोरेंडम संलग्न करें।

प्रस्तुतीकरण पृष्ठांकन (धारा-52):

दस्तावेज की प्रस्त्ति पर उप पंजीयक द्वारा प्रस्त्ति पृष्ठांकन किया जाता है । (नियम-3)

स्टाम्प श्ल्क का परीक्षण नियम 4-5:

उप पंजीयक द्वारा, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत विलेख में प्रदर्शित बाजार मूल्य का परीक्षण किया जाकर उसमें यथानिहित देय स्टाम्प शुल्क की गणना की जाती है जिसमें स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत शुल्क, पंचायत शुल्क तथा उपकार आदि भी सम्मिलित होते हैं।

नियम 6:

यदि उपरोक्तनुसार बाजार मूल्य के अन्तर या फेस वेल्यू पर स्टाम्प शुल्क कम प्रतीत होता है तो उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक विधान की धारा 35-च के अंतर्गत पक्षकार को कमी शुल्क से अवगत कराकर कमी शुल्क को जमा करने हेतु अवसर प्रदान करता है। यदि पक्षकार सहमत हो तो कमी शुल्क जमा करने के पश्चात पंजीयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है अन्यथा बाजार मूल्य कम पाए जाने की स्थिति में उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 47-क(1) के अंतर्गत बाजार मूल्य निर्धारण हेतु दस्तावेज कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की ओर संदर्भित किया जाता है इसी प्रकार फेस वेल्यू पर मुद्रांक शुल्क कम पाए जाने अथवा दस्तावेज के गलत वर्गीकरण से मुद्रांक शुल्क की कमी पाए जाने पर दस्तावेज को अवरुद्ध कर मुद्रांक अधिनियम की धारा -33 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प की ओर आवश्यक कार्यवाही हेत् भेजा जाता है।

<u>पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के साथ निम्नितिखित अभिलेख भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए :-</u> कृषि भूमि की स्थिति में :-

- 1. ऋणपुस्तिका (किसान पुस्तिका)।
- 2. बी-1 की नकल तथा खसरापाँचसाला।
- 3. पटवारी द्वारा प्रदत नक्शा/ऑनलाइन जारी कंप्यूटराइज नक्शा।

आवासीय भूमि की स्थिति में:-

- 1. परिवर्तित खसरा।
- 2. बी-1 की नकल।
- 3. पटवारी द्वारा प्रदत नक्शा/ऑनलाइन जारी कंप्यूटराइज्ड नक्शा ।

मकान विक्रय होने की स्थिति में:-

- 1. मकान का नक्शा।
- 2. संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- 3. स्थानीय निकाय अथवा गृह निर्माण सरकारी समिति के मामले में समिति के पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र, प्नः विक्रय की स्थिति में समिति द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र।
- 4. बिल्डर्स द्वारा निर्मित बहुमंजिला इमारत के फ्लैट होने पर पूर्व पंजीकृत विलेख का क्रमांक/दिनांक।

5. नजूल/आबादी भूमि होने की स्थिति पर :-

- 1. नजूल का नजरी नक्शा।
- मेन्टेनेंस खसरा।
- 3. आबादी भूमि का नजरी नक्शा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्निलिखित तथ्य भी आवश्यक हैं :-

- 1. संपत्ति का ट्कड़ा विक्रय होने की स्थिति में ट्कड़े का नक्शा।
- 2. आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी को अथवा शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय किये जाने की स्थिति में कलेक्टर की अनुमति (भू-राजस्व सहिता की धारा-165(6) एवं 7 (ख))।
- 3. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 10 लाख रूपये या इससे अधिक मूल्य के विलेख में पैन नं॰ अथवा फार्म क्रमांक 60/61 में घोषणा पत्र।
- 4. बाट माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 11 (सी) के अनुसार भवन, भूमि आदि के दस्तावेजों में पुरानी इकाइयों में माप दर्शाना नियमानुकूल नहीं है। तदनुसार यह आवश्यक है कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में पुरानी इकाइयों के साथ दाशमिक प्रणाली में भी भूमि, भवन आदि के माप पक्षकारों द्वारा अनिवार्यरत: अंकित किये जाये।
- 5. सभी प्रकार के प्रस्तुत दस्तावेज में पक्षकारों/गवाहों के पहचान हेतु वैध पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड/ वोटर आई॰डी कार्ड/राशन कार्ड/बैक पासबुक/पासपोर्ट/ ड्राइविंग इसेंस आदि की छाया प्रति दस्तावेज के साथ सलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- 6. दस्तावेज में कोई परिवर्तन, परिवर्धन अथवा उध्घर्षण किये जाने की स्थिति में इस आशय की एक टीप अंकित की जाय कि दस्तावेज में किस पंक्ति या शब्दों में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन न किये जाने की स्थिति में दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं है, की टीप अंकित कर निष्पादकों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।
- 7. दस्तावेज में जब कभी रकबा, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई की माप, लगान, कीमत या अन्य कोई तथ्य जब अंकों में लिखे जायें तब अंकों के साथ-साथ उन्हें शब्दों में भी अनिवार्यतः लिखा जाए।

नियम 19:

दस्तावेज को नियम 19 में उल्लेखित बृटियों के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसी विशिष्ट के कारण बृटिपूर्ण हो, जिसका सुधार एवं परिवर्धन पंजीयन अधिकारी की राय में आवश्यक हो तब वह संशोधन, सुधार अथवा लोप का प्रदाय करने हतु वापस किया जा सकेगा। सुधार पश्चात यदि दस्तावेज पुनः पंजीयन अधिकारी के समक्ष लाया जाता है तो पंजीयन अधिकारी की आगामी कार्यवाही संपादित की जाएगी। किन्तु यदि नियम 19 के अंतर्गत लौटाये गये कारणों की पूर्ति के बिना पुनः दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो नियम -35 के अंतर्गत उसे पंजीयन से इंकार किया जाएगा।

<u> पहचान :-</u>

दस्तावेज के निष्पादन पक्षकार का पहचान दो उपस्थित गवाहों के साक्ष्य से की जाती है।

स्वीकृति पृष्ठांकन (धारा-35) :-

निष्पादक की स्वीकारोक्त के पश्चात् दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल के बारे में स्वीकृति पृष्ठांकन वर्तमान में कंप्यूटराइज्ड पृष्ठांकन किया जाता है (नियम -28)।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (धारा-59, 60) :-

निष्पादक की स्वोकारोक्ति अर्थात पृष्ठांकन, अंगुष्ठछाप तथा हस्ताक्षर पश्चात पंजीयन फीस की मांग की जाती है । यदि फीस संदाय कर दी जाती है तो दस्तावेज पंजीयन हतु प्रतिग्रिहित कर लिया जाता है तथा अनुक्रमांक के अनुसार उसकी प्रविष्टि उचित पुस्तक में की जाती है । (नियम -31) उप पंजीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिलिखित कर मुद्रांकित हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करता है, यही दिनांक दस्तावेज का पंजीयन दिनांक कहलाता है ।

दस्तावेज की वापसी (धारा-61) :-

दस्तावेज के पृष्ठांकन एवं प्रमाण - पत्र की नक़ल (प्रतिलिपि) पश्चात दस्तावेज जिस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया उसे अथवा यदि उसके द्वारा रसीद पर पृष्ठांकन कर दुसरे व्यक्ति को दस्तावेज प्राप्ति हेतु अधिकृत किया गया हो तो व्यक्ति को मूल पंजीबद्ध विलेख वापस किया जाता है।

-:-